

धर्मस्थान संस्कार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

मामांक एफ. (43) वाकासी/वि.सं./2018/

170

दिनांक-


13/7/2018

आदेश

संग्रहण गैर संचयनी शिक्षा विभाग, 1993 में दिया गया अधिनियम, 1993 एवं दिया गया अधिनियम, 1993 द्वारा जारी ग्रहणन निजी महाविद्यालय भीती के अन्तर्गत शिक्षणिक वार्ष 2018-19 से 2020-21 (दोनों सत्र) तक स्थानक बार पर नवीन निजी महाविद्यालय संघालन हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित रूपों के साथ प्रदान किया जाता है—

संघालक विभाग	महाविद्यालय का नाम	संबद्धका विश्वविद्यालय	पाद्धकम्
श्रीमती विट्ठली माधू, राम कृष्णनंदन और साइम रिसर्च एवं सोसाइटी वेलफेयर, वागर दामोह रोड, श्रीगंगानगर।	मुम्बई कॉलेज, एवं एव डार्डन, श्रीगंगानगर।	महाविद्यालय विश्वविद्यालय, विकासने।	अनिवार्य विषयों का विवर स्थानक बार पर कला विभाग— अभियान, अधोजीवानिया डिप्टी राजित, नृगोल, राजितान, राजनीतिविज्ञान संगठनशास्त्र, मनोविज्ञान, सोशलप्रशासन, साम्यवाद, एफीलेट्यून, शास्त्रिय विभाग विभागीय विभाग— एवं एसीटी, इस्टर्न्स व्यापारसाधिक प्रशिक्षण, कम्प्यूटर एफीलेट्यून। विज्ञान विभाग— गणितज्ञान, गणित संसाधनशास्त्र, प्रौद्योगिकी, वनस्पतिशास्त्र।

1. संघालक अन्वयिति प्रमाण—पत्र प्राप्त प्रत्येक वार्ष हेतु नियमानुसार मध्य वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
 2. संघालक सब 2021-22 में निर्धारित अधिक गैरिकानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अधिग्रहित हेतु आवेदन करेगी।
 3. संघालक विभाग के विभाग में संघालक विश्वविद्यालय हेतु प्रत्येक अन्वयिति प्रमाण पत्र प्राप्ति विभाग द्वारा दीन रखते हैं।
 4. संघालक द्वारा साथियि जगा राजि (एक दो आदि) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होता।
 5. अवधिकारवालुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकारी द्वारा प्राप्तिविभाग का विरीक्षण किया जा सकता रहता है।
 6. संघालक विभागित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करनी पड़ता हिति महाविद्यालय के प्रकल्प में वीरीओआई से मध्यस्थी व विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी। तत्परतात ही विभागितीयों का प्रयोग किया जाये।
 7. संघालक प्रत्येक अवधिकारी अन्वयिति प्रमाण पत्र करने के पश्चात महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुपान वाहिनी द्वारा निपारित योग्यताप्राप्ति प्राप्तांत्रि आदिति विषयों के विषयतात् पुरुत्वान्वयात् एवं वीरीओआई तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताप्राप्ति अवधिकारी अवधिकारी एवं विषयात् करेगी।
 8. संघालक संकाय एवं विषयात् वीरीओआई का अवधिकार विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय वीरीओआई को सूचित करेगी। तथा नामितिविभालय वार्षुरार तथा संघालक वीरीओआई प्रत्येक विभाग जाना रुक्षित परा करेगा।
 9. राज्य सरकार वीरीओआई विभागित विषयों 2018-19 विषय वार्ष में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होता।
 10. संघालक प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं नामितिविभालय प्राप्त कर निर्धारित अवधिति गैरिकाने भरकर आयुक्तालय परोग भोजनी।
 11. मानव संविधान विभाग संघालक, भारत राजकार द्वारा प्रोटोकॉल www.aisthe.nic.in पर विश्वविद्यालय को राजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर ऑफलाइन करना अनिवार्य होगा। तरपश्चात् विभागित विभालय इसकी लाड वीरीओआई 15 विषय में आयुक्तालय ने प्रस्तुत करेगा।
- उपर्युक्त राजी वीरीओआई करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाली हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट विभाग, गोपनीय विभाग, विभागीय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी संस्था, अतिविवित मुख्य संस्था, उच्च विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेजटर, श्रीगंगानगर।
4. कुल संचिय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, वीकासन।
5. संघालक संस्था/विभागित विभालय।
6. राज्यिकी विभाग, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. चलित पत्रावली।

*For Late Smt. Vidyaavanti Ladhu Ram Mundhwa,
For Science Research and Social Welfare
Authorised Signatory*

निर्वाचित—निदेशक (निष्ठा)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर